तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स आज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/5/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं0 421 रकबा 0.45 है0 ख0नं0 490 रकबा 1.45 है0 कुल 2 किता कि 1.90 है0 आराजी स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में सत्यनारायण सुमन आत्मज भवानी शंकर जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा के नाम दर्ज है। खातेदार सत्यनारायण सुमन को रूपयों की आवश्यकता होने से सत्यनारायण सुमन द्वारा बहैसियत मुख्तार आम से ग्राम देवली अरब तह0 लाडपुरा स्थित ख0नं0 421 रकबा 0.45 है0 में से रकबा 0.1250 है0 दक्षिणी पूर्वी दिशा वाली आराजी का पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.04.2024 को उपपंजीयन कार्यालय कोटा में वादी के पक्ष में करवा दिया, बाद विक्रय पत्र वादी ने मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा वादी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी ने बाद विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2024 को तहसीलदार लाडपुरा प्रतिवादी के यहां वादी का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल तसदीक करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया किन्तु वादी के निरन्तर प्रयासरत रहने के बावजूद भी तहसील लाडपुरा में ऑनलाईन सिस्टम चालू नहीं होने के कारण उक्त विक्रय पत्र का इंतकाल वादी के पक्ष में तस्दीक नहीं हो सका। इसके संबंध में वादी द्वारा प्रतिवादी से सम्पर्क किया जिसपर प्रतिवादी द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश की बिना इंतकाल खोलने से मना कर देने के कारण वादी के लिये यह वादी प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर वादी को ग्राम देवली अरब स्थित खसरा नं0 421 रकबा 0.45 है0 मे से भाग आराजी रकबा 0.1250 है0 दक्षिणी–पूर्वी दिशा वाली का इंतकाल वादी के पक्ष में प्रदान कर वादी का नाम प्रतिवादी के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे। अन्य न्यायोचित सहायता भी वादी को प्रदान करवायी जावे। प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन किया गया। आवेदक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल चाहता है। विक्रय पत्र तथा तहसील द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर का अवलोकन किया गया। वाद में एकमात्र निर्धारित किए जाने वाला बिन्दु यह है कि क्या आवेदक राजस्व रिकॉर्ड में अमल की पात्रता रखता है तथा प्रश्नगत भूमि आवेदक के खाते दर्ज की जानी चाहिए। उक्त तथ्य को प्रमाणित करने का भार भी प्रार्थी पर है। प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत करने के साथ ही कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी वाके ग्राम देवली आरब वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है। उक्त विक्रय के पेटे समस्त निर्धारित राशि का भुगतान भी उसके द्वारा किया जा चुका है। तथा प्रश्नगत आराजी का कब्जा भी उसके द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। विक्रय पत्र में स्पष्टतया क्रय किए गए भू–भाग का हिस्से में भी उल्लेख किया गया है। प्रार्थी के अनुसार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा केवल इस आधार पर इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा रहा है कि ऑनलाइन साफ्टवेयर में तरमीम का ऑप्शन नहीं आने के कारण तरमीम नहीं की जा सकती तथा इसी कारण इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का आगे कथन है कि यदि सरकार के साफ्टवेयर में कोई कमी है, तो उसके लिए प्रार्थी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। उपस्थित अभिभाषक द्वारा आगे वर्णित किया गया कि तरमीम का ऑप्शन पटवारी की आईडी पर तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन एलआरसी की आईडी पर उपलब्ध है, अतः यदि न्यायालय आदेश दे तो	

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अफ

नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

टीडीआर व एलआरसी की आईडी से तरमीम की जा सकती है तथा इन्तकाल भी दर्ज किया जा सकता है।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर का अध्ययन किया गया। तहसील द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में नामान्तरकण कम्प्यूटर द्वारा ऑनलाईन दर्ज किए जा रहे हैं, साथ ही ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर पर विक्रय पत्र के नामा0 स्वतः स्वीकृत नामा0 दर्ज किए जा रहे है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्न सेल डीड के अनुसार प्रार्थी के द्वारा ग्राम देवली अरब पटवार हल्का देवली अरब भू.अ.नि.वृत लाडपुरा कोटा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 421 रकबा 0.45 है0 में से रकबा 0.1250 है0 दक्षिणी पूर्वी दिशा दिनांक 22.04.2024 को क्रय की है। उक्त नामान्तकरण दर्ज करने में कोई तकनीकी समस्या नही है। प्रार्थी के तथ्य निराधार है। खसरा विभाजन एवं तरमीम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में वर्णित है। अतः केवल मात्र विक्रय पत्र के आधार पर विभाजन किया जाना न्याय संगत एवं विधि सम्मत नही है।

स्पष्टतया ई पंजीयन सॉफ्टवेयर से उक्त नामान्तरकरण दर्ज नही हो पाया है। सॉफ्टवेयर की किसी कमी या त्रुटि के लिए प्रार्थी प्रताड़ित नही हो सकता।

उक्त परिस्थितियों में वाद का एकमात्र निर्धारक बिन्दु वादी के पक्ष में तय किया जाता है तथा आदेश दिए जाते हैं कि विक्रयपत्र दिनांक 22.04.2024 द्वारा क्रेता तरूण चतुर्वेदी पुत्र श्री दिलीप कुमार चतुर्वेदी को विक्रय की गई ग्राम देवली अरब पटवार हल्का देवली अरब भू.अ.नि.वृत लाडपुरा कोटा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 421 रकबा 0.45 है0 में से रकबा 0.1250 है0 दक्षिणी पूर्वी दिशा वाली भू–भाग को क्रेता तरूण चतुर्वेदी पुत्र श्री दिलीप कुमार चतुर्वेदी के खाते दर्ज किया जावे तथा विक्रय पत्र अनुसार खसरा नंबर में आवश्यक तरमीम की जावे।

निर्णय भी प्रति पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 16/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
को.